

77  
23-5-13

RCMS  
A

प्रपत्र-8

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बांसवाड़ा  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट) कैम्प अहम

आदेश:-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी अहम व भू.अ.नि. टोक को रिपोर्ट तथा तहसीलदार बांसवाड़ा / नायब तहसीलदार बांसवाड़ा की अनुशांसा के आधार पर राजस्थान राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम बांसवाड़ा तहसील बांसवाड़ा जिला बांसवाड़ा की जमाबन्दी सम्वत् 2012-13 में खाता संख्या 23 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1.	<u>बांसवाड़ा</u>	<u>23</u>	<u>शामसुद कुल लालू</u>	<u>शामसुद-दराम कुल लालूराम</u>



अहम  
पीठासीन अधिकारी  
लोक अदालत अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
पदेन सहा.कलक्टर.

क्रमांक :-

दिनांक :-

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार अहम को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री शामसुद कुल लालू को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

अहम  
पीठासीन अधिकारी  
लोक अदालत अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा.कलक्टर.